न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

(134)

प्रकरण क्रमांक : 1007–तीन/2011 निगरानी – विरूद्ध– आदेश दिनांक 2–6–11 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 88/2008–09 निगरानी

1– मक्खन 2– अमरचन्द
3– भजनलाल पुत्रगण जेठाराम
निवासीग्रण ग्राम बोरदा देव तहसील
व जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ———आवेदकगण

विरूद्ध

कश्मीर पुत्र जैठाराम निवासी ग्राम
बोरदा देव तहसील व जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ———अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
(आदेश दिनांक 18/4/19 को पारित)

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 88/2008–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02–06–2011 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 (अत्र पश्चात् संहिता) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण एंव अनावेदक के संयुक्त खाते पर मौजा बोरदा देव में भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 3–085 हैक्टर है तथा नयागॉव तेखण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2/16 रकबा 5 वीघा, सर्वे क्रमरंक 2/15 रकबा 5 वीघा 4 विसवा, सर्वे क्रमांक 4/1 रकबा 6 वीघा 16 विसवा अनावेदक कश्मीर के नाम है। आवेदकगण ने नायव तहसीलदार बड़ौदा के समक्ष इस आशय के आवेदन प्रस्तुत किये कि उक्तांकित भूमि पर कब्जा होने से कब्जा दर्ज किया जावे। नायव तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 8 /2004–045 अ–6–अ पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 24–11–2005 पारित करके ग्राम बोरदा देव की भूमि सर्वे क्रमांक 390/1 रकबा 4 वीघा 10 विसवा, 390/2 रकबा 4 वीघा, सर्वे क0

392/1 रकबा 2 वीघा 5 विसवा पर मक्खन लाल पुत्र जैठाराम का नाम तथा ग्राम नयागॉव तेखण्ड स्थित भूमि सर्वे कमांक 4/1 रकबा 6 वीघा, 5/1 रकबा 16 विसवा में रकबा 1 वीघा 14 विसवा पर मक्खनलाल , रकबा 1 वीघा 14 विसवा पर अमरचंद , रकबा 1 वीघा 14 विसवा पर भजनलाल निवासी बोरदादेव का नाम खसरा पंचशाला में कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने प्रकरण कमांक 111/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 26–12–2006 से अपील बेरूम्याद मानकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर श्योपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर श्योपुर ने प्रकरण कमांक 11/2006–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–5–2009 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्र०क्र० 88/2008–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02–06–2011 से निगरानी अंशतः स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी हैं ।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के कम में उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के कम में नायव तहसीलदार के प्रकरण कमांक 8 /2004–05 अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 24–11–2005 , अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 111/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 26–12–2006 , अपर कलेक्टर श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 11/2006–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–5–2009 तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्र0क्र0 88/2008–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02–06–2011 का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। अपर आयुक्त ,

चंबल संभाग, मुरैना ने अपर कलेक्टर के आदेश को एंव अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के आदेश को इस आधार पर निरस्त किया हैं कि बतिया वाई विरूद्व सिकन्दर खॉ 1993 एम०पी०जे०एल०जे० 737 का न्याय दृष्टांत है कि जहां विलम्ब माफ करने वावत् प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जा रहा हो, वहां न्यायालय को सामन्यतः यह ध्यान रखना चाहिये कि पक्षकार न्याय से बंचित न हो। अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का अभिमत उचित प्रतीत होता है , क्योंकि

1. अवधि विधान की धारा–5 सहपठित म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के कारणों पर विचार करते हुये मामले में विधि का सारवान सिद्वांत अंतर्ग्रस्त हो तब परिसीमा की तकनीक उस पर अभिभावी नहीं मानना चाहिये एंव ऐसे मामले में न्याय से इंकार नहीं करना चाहिये (**A.I.R. 1987 S.C.** 1353 से अनुसरित)
2. प्रेमनारायण राठौर बनाम म0प्र0 राज्य 2006 रा0नि0 351 का दृष्टांत है कि परिसीमा अधिनियम 1963 – धारा –5 – आक्षेपित आदेश की सूचना समय से नहीं दी गई – सूचना प्राप्त होने के पश्चात् अपील फाइल की गई– उदारतापूर्वक माफी प्रदान की जाना चाहिये–आवेदन मंजूर किया गया। **A.I.R. 1987 S.C. 1353 तथा 1997 रा.नि. 345 (उच्च न्यायालय)** से अनुसरित

उक्त के प्रकाश में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 88/2008–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02–06–2011 उचित प्रतीत होता है जिसमें हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 88/2008–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02–06–2011 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(ऐस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर